

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
वित्तीय सेवाएं विभाग  
लोक सभा  
**तारांकित प्रश्न संख्या \*308**  
जिसका उत्तर सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया  
**पुरानी पेंशन योजना की बहाली**

\*308. श्री सुदामा प्रसादः

श्री उत्कर्ष वर्मा मधुरः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा यूपीएस शुरू करने के क्या कारण हैं;
- (ख) क्या सरकार को नई पेंशन योजना की अव्यवहारिकता के बारे में जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) बेरोजगार पुत्र, अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री और आश्रित माता-पिता को यूपीएस में परिवार की परिभाषा में शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं; और
- (घ) ओपीएस की तुलना में यूपीएस में पेंशन कम होने और यूपीएस की घोषणा केवल एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री  
(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**‘पुरानी पेंशन योजना की बहाली’ के संबंध में श्री सुदामा प्रसाद और श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर द्वारा पूछे गए दिनांक 11.08.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*308 के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) से (ग): राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली’ के संबंध में भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकारी राजकोष पर ओपीएस के अस्थिर राजकोषीय दायित्व के कारण सरकार ने ओपीएस को प्रतिस्थापित कर दिया था। एनपीएस एक निर्धारित अंशदान – आधारित योजना है जिसका शुभारंभ दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए (सशस्त्र बलों को छोड़कर) किया गया था। ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशनभोगी लाभ में सुधार करने के उद्देश्य से तत्कालीन वित्त सचिव की अध्यक्षता में एनपीएस में सुधार करने के उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। हितधारकों के साथ समिति के विचार - विमर्श के आधार पर एनपीएस के अंतर्गत कवर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद निर्धारित लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया था।

परिवार की परिभाषा सहित यूपीएस की विशेषताओं को, निधि के राजकोषीय स्थायित्व को भी बनाए रखते हुए सुनिश्चित पेआउट का भुगतान आश्वस्त करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, वे सरकारी कर्मचारी, जो एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस का विकल्प लेते हैं, वे सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या अमान्यता अथवा दिव्यांगता के आधार पर उन्हें सेवा मुक्त किए जाने की स्थिति में भी सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021या सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प देने के पात्र होंगे।

(घ) यूपीएस का शुभारंभ सरकार द्वारा दिनांक 24.01.2025 की अधिसूचना के माध्यम से एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में किया गया है। यूपीएस के अधीन अर्हक सेवा के न्यूनतम 25 वर्षों के बाद सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले बारह महीने के औसत मूल वेतन के 50% दर पर सेवानिवृत्ति होने पर सुनिश्चित पेआउट स्वीकार्य है। कम अर्हक सेवा अवधि के मामले में आनुपातिक पेआउट स्वीकार्य होगा।

\*\*\*\*\*